7-4-11

संख्या : 1016 / 1–10–2011–14(63) / 2010 टी.सी.

प्रेषक,

जारी 07.4.2011

क्र. 37

के0के0 सिन्हा,
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
अलीगढ / बहराइच / बलरामपुर / एटा / ईटावा / फतेहपुर / गाजीपुर / गोण्डा / गोरखपुर / हमीरपुर / हरदोई / जालौन / झांसी / कानपुरनगर / कौशाम्बी / महाराजगंज / रमाबाई नगर / सिद्धार्थनगर / सोनभद्र।

राजस्व अनुभाग–10

लखनऊ : दिनाँक : 07 अप्रैल, 2011

विषय : **वित्तीय वर्ष 2010–11 में बाढ़ एवं दैवी आपदा राहत निधि से विगत वर्षों में टी0आर0 27 के अन्तर्गत व्यय के समायोजन हेतु धनावंटन।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2011–12 में दैवीय आपदा राहत निधि से विगत वर्षों में टी0आर0 27 के अन्तर्गत आहरित धनराशि के समायोजन हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन कुल धनराशि रू0 **46,19,34,896** /– (छियालिस करोड उन्नीस लाख चौतिस हजार आठ सौ छियानबे मात्र) निम्न विवरण के अनुसार आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

क0 स0	जनपद	संदर्भ	टी0आर0–27 के अंतर्गत व्यय की गई धनराशि का विवरण		शासनादेश सं0 1003 / 1–10–2011–14(63) / 2010 द्वारा आवंटित धनराशि (लाख रू0)	टी0आर0 27 के समायोजन हेतु अवशेष आवंटित धनराशि (लाख रू0 में)
			वित्तीय वर्ष	धनराशि (लाख रू0)		
1	अलीगढ़	878 / दै0आ0लि0–2010–11 दिनांक 22 मार्च, 2011	2004–05	2.50		2.50
2	बहराइच	1154 / आपदा–तेरह–समायोजन / 11 दिनांक 16 मार्च, 2011	2007–08	723.38	70.00	500.00
3	बलरामपुर	1524 / सी0आर0ए0(दै0आ0–टी0आर0–27–समायोजन) / 11 दिनांक 30 मार्च, 2011	2004–05	1.58311	150.00	500.00
			2007–08	1498.40281		

क0 स0	जनपद	संदर्भ	टी0आर0–27 के अंतर्गत व्यय की गई धनराशि का विवरण		शासनादेश सं0 1003/1–10–2011–14(63)/2010 द्वारा आवंटित धनराशि (लाख रू0)	टी0आर0 27 के समायोजन हेतु अवशेष आवंटित धनराशि (लाख रू0 में)
			वित्तीय वर्ष	धनराशि		
4	एटा	3821/वी0पी0ए0 द्वितीय/कोष/एटा दिनांक 26 मार्च, 2011	2004–05	9.29372		25.30142
			2007–08	16.00770		
5	इटावा	84/सी0आर0ए0–दै0आ0–टी0आर07–07–08 दिनाक 17 मार्च, 2011	2007–08	5.00		5.00
6	फतेहपुर	1284/तेरह–विविध/2010–11/सी0आर0ए0 दिनों 25 मार्च, 2011	1992–93	4.30		11.11517
			1997–98	4.81517		
			2007–08	2.00		
7	गाजीपुर	1119/13–आपदा/2010–11 दिनांक 28 मार्च, 2011	2007–08	12.09350		12.09350
8	गोण्डा	453/दैवी आपदा/(टी0आर0–27 समायोजन) /2005 दिनांक 31.03.2011	2004–05	37.94		37.94
9	गोरखपुर	125/आपदा–2011 दिनांक 26 मार्च, 2011	2007–08	1583.40724		500.00
10	हमीरपुर	1711/सी0आर0ए0–13–दै0आ0/2010–11 दिनांक 18 मार्च, 2011	2007–08	471.54	50.00	421.54
11	हरदोई	408/सी0आर0ए0–दै0आ0–बजट/11 दिनाक 25 मार्च, 2011	2007–08	8.82852		8.82852
12	जालौन	140/3–सी0आर0ए0 दिनांक 18 मार्च, 2011	2003–04	10.50	200.00	500.00
			2007–08	2946.14190		
			2008–09	0.25000		
13	झांसी	1827/मु0रा0आ0–03(13)/दै0आ0/2010–11 दिनांक 26 मार्च, 2011	2007–08	2176.30658	230.00	500.00
14	कानपुर नगर	458/सी0आर0ए0(दै0आ0)/11 दिनांक 17 मार्च, 2011	2008–09	326.02785		326.02785

क0 स0	जनपद	संदर्भ	टी0आर0-27 के अंतर्गत व्यय की गई धनराशि का विवरण		शासनादेश सं0 1003/ 1-10-2011-1 4(63)/2010 द्वारा आवंटित धनराशि (लाख रू0)	टी0आर0 27 के समायोजन हेतु अवशेष आवंटित धनराशि (लाख रू0 में)
			वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष		
15	कौशाम्बी	347/दैवी आपदा-कौ0 दिनांक 25 मार्च, 2011	2007-08	2.77250		2.77250
16	महाराजगंज	717/आपदा सहायक/2010-11 दिनांक 29 मार्च, 2011	2007-08	2103.51		500.00
17	रमाबाई नगर	482/सी0आर0ए0-दै0आ0/2010-11 दिनांक 31 मार्च, 2011	2007-08	4.50		4.50
18	सिद्धार्थ नगर	468/रा0लि0/2010-11 दिनांक 18 मार्च,2011	2007-08	291.73	30.00	261.73
19	सोनभद्र	1738/मु0रा0ले0-दैवीय आपदा -2007-08 दिनांक 03 मार्च, 2011	2007-08	1967.18666		500.00
	योग			**14210.01726**	**730.00**	**4619.34896**

2. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-आपदा राहत निधि-800-अन्य व्यय-03-आपदा राहत निधि से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3. उक्त धनराशि का व्यय प्रस्तर-3 व 4 में संदर्भित शासनादेश दिनाँक 31 जुलाई, 2007 के साथ संलग्न भारत सरकार की गाइड लाइन्स में निर्धारित एवं अर्ह मानकों मदों के अनुसार ही किया जायेगा।

4. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेख रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या-1693/1-11-2005-रा0-11, दिनाँक 20 जून, 2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट http//rahat.up.nic.in पर भी फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय। शासन द्वारा आवंटित धनराशि में से यदि बचते संभावित हों तो उन्हें दिनाँक 31 मार्च, 2011 से पूर्व शासन को समर्पित कर दिया जाय।

5. टी0आर0-27 में आवंटित धनराशि का आहरण कर इसी वित्तीय वर्ष में समायोजन सुनिश्चित कर उक्त का पुस्तांकन महालेखाकार कार्यालय में कराया जाये । टी0आर0-27 में आहरण करते समय शासनादेश संख्या-1026/1-10-2011-रा-10-33(98)/11 दिनांक 25 मार्च, 2011 में दिये गये दिशा निर्देशो का पालन किया जाये।

6. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण–पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के प्रस्तर–369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या–42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाय।

7. व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकर कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,

(के0के0 सिन्हा)
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त

संख्या–1016/1–10–2011–14(63)/2011, तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार–प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2– संबधित मण्डालायुक्त, उ0प्र0।
3– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
4– वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन लखनऊ को राहत की वेबसाइट http//rahat.up.nic.in पर अपलोड किये जाने।
5– वरिष्ठ वित्त एवं लेखा अधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त ।
6– संबधित मुख्य /वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
7– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–5 ।
8– समीक्षा अधिकारी (लेखा) राजस्व अनुभाग–10/राजस्व अनुभाग–6/11 राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
9– निजी सचिव, प्रमुख सचिव राजस्व एवं राहत आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
10–गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आनन्द प्रकाश उपाध्याय)
संयुक्त सचिव, राजस्व